


7<sup>3</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई। बकुलाच परीकोन डा।  
आइन्दा पत्रावली कॅम्प कोर्ट/ लोक अदालत  
में दिनांक 28/6/18 को पेश हो।



एस डी ओ/ सीडी

28<sup>6</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली कॅम्प कोर्ट में पेश हुई। बाकी का कार्य  
डिप्टी सिक्रेटरी जाता है। डिप्टी सिक्रेटरी से आदेशों  
पत्रावली कॅम्प कोर्ट/ पत्रावली कॅम्प कोर्ट को  
जानकारी दी जा रही है। बाकी का कार्य सिक्रेटरी से  


( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोटकासिम )

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट ) केम्प कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वा शिब मीना P.S उन्वान  
वनाम देवराज

दावा नम्बर 188 RT Act


सूचना नम्बर 150/17

निर्णय दिनांक 22.02.2018

वादी की ओर से शशिपत्तन श्री व प्रतिवादी की ओर से  
जिस उपाख्यान में आज तारीख को ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के मध्य अन्तिम

निष्पत्ति के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि बिवाहेत आराजी उलखे नं.  
14991/1 खसत 3-07 पीथ, 1495/1 खसत 0-17 पीथ, 14991/1 खसत  
0-15 पीथ वार्ड ग्राम कोटकासिम में वादी का वाद डिक्री किया जाता है।  
प्रतिवादी व. 1 को निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी को आराजी में  
उपरोक्त पत्रों को भेजने, या कोर्ट की कार्यवाही करने, या करवा करे, या इन  
कार्यवाही करने आराजी को प्रतिकूल करवा करे से निषेधाज्ञा जारी करे।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।  
यह आज तारीख 22.02.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
( विश्वा शिब मीना पी.एस )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर कोटकासिम

वाद के खर्चे